Haryana Government Gazette

EXTRAORDINARY

Published by Authority

© Govt. of Haryana

No. 102-2024/Ext.] चण्डीगढ़, मंगलवार, दिनांक 9 जुलाई, 2024
(18 आषाढ़, 1946 शक)

विधायी परिशिष्ट

क्रमांक	विषय वस्तु	पृष्ठ
भाग–I	**अधिनियम**	
	कुछ नहीं	
भाग–II	**अध्यादेश**	
	कुछ नहीं	
भाग–III	**प्रत्यायोजित विधान**	
	अधिसूचना संख्या का०आ० 31/के0अ02/1899/धा0 74/2024 दिनांक 09 जुलाई, 2024–पंजाब स्टाम्प (हरियाणा संशोधन) नियम, 2024.	139—140
भाग–IV	**शुद्धि पर्ची, पुनः प्रकाशन तथा प्रतिस्थापन**	
	कुछ नहीं	

भाग—III

हरियाणा सरकार

राजस्व तथा आपदा प्रबन्धन विभाग

अधिसूचना

दिनांक 9 जुलाई, 2024

संख्या का०आ० 31/के0अ02/1899/धा0 74/2024.— भारतीय स्टाम्प अधिनियम, 1899 (1899 का केन्द्रीय अधिनियम 2), की धारा 74 तथा न्यायालय फीस अधिनियम, 1870 (1870 का केन्द्रीय अधिनियम 7) की धारा 27 के खण्ड (क) तथा (घ) तथा धारा 34 की उप–धारा (1) के अधीन प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, हरियाणा के राज्यपाल, इसके द्वारा, पंजाब स्टाम्प नियम, 1934 को, हरियाणा राज्यार्थ, आगे संशोधित करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाते है, अर्थात् :–

1. ये नियम पंजाब स्टाम्प (हरियाणा संशोधन) नियम, 2024 कहे जा सकते है।

2. पंजाब स्टाम्प नियम, 1934 (जिन्हें, इसमें, इसके बाद उक्त नियम कहा गया है) में, नियम 26 में, खण्ड (i) में उप–खण्ड (क) के स्थान पर, निम्नलिखित उप–खण्ड प्रतिस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :–

"(क) (i) कि न्यायालय फीस स्टाम्प के मामले में, किसी भी व्यक्ति को 20,000/– रुपए से अधिक मूल्य के किसी भी एकल स्टाम्प को बेचने की अनुज्ञप्ति नहीं दी जाएगी ;

(ii) कि मुद्रित/विशिष्ट चिपकने वाली गैर–न्यायिक स्टाम्प के मामले में, किसी भी व्यक्ति को 20,000/– रुपए से अधिक मूल्य की एकल ई–स्टाम्प बेचने की अनुज्ञप्ति नहीं दी जाएगी। स्टाम्प विक्रेताओं को केवल 100/– रुपए के मूल्यवर्ग तक की मुद्रित/विशिष्ट चिपकने वाली गैर–न्यायिक स्टाम्प को बेचने की अनुमति दी जाएगी ;"।

3. उक्त नियमों में, नियम 28 में, "10,000/– रुपए" अंक, चिह्न तथा शब्द, जहां कहीं भी आएं, के स्थान पर, "20,000/– रुपए" अंक, चिह्न तथा शब्द प्रतिस्थापित किए जाएंगे।

4. उक्त नियमों में, नियम 33 में, "10,000/– रुपए" अंक, चिह्न तथा शब्द, जहां कहीं भी आए, के स्थान पर, "20,000/– रुपए" अंक, चिह्न तथा शब्द प्रतिस्थापित किए जाएंगे।

टी0 वी0 एस0 एन0 प्रसाद,
वित्तायुक्त राजस्व तथा अपर मुख्य सचिव,
हरियाणा सरकार, राजस्व तथा आपदा प्रबन्धन विभाग।

HARYANA GOVERNMENT

REVENUE AND DISASTER MANAGEMENT DEPARTMENT

Notification

The 9th July, 2024

No. S.O. 31/C.A.2/1899/S.74/2024.— In exercise of the powers conferred by section 74 of the Indian Stamp Act, 1899, (Central Act No. 2 of 1899) and clauses (a) and (d) of section 27 and sub-section (1) of section 34 of the Court Fees Act, 1870 (Central Act No. 7 of 1870), the Governor of Haryana hereby makes the following rules further to amend the Punjab Stamp Rules, 1934, in their application to the State of Haryana, namely:-

1. These rules may be called the Punjab Stamp (Haryana Amendment) Rules, 2024.

2. In the Punjab Stamp Rules, 1934 (hereinafter called the said rules, in rule 26, in clause (i), for sub-clause (a), the following clause shall be substituted, namely:-

"(a) (i) That no person shall be licensed to sell single stamp exceeding Rs. 20,000/- in value in case of court fee stamps.;

(ii) that no person shall be licensed to sell any single e-stamp exceeding Rs. 20,000/- in value in case of impressed/special adhesive non judicial stamps. The stamp vendors shall be allowed to sell impressed/special adhesive non judicial stamps up to denomination of Rs. 100/- only ;".

3. In the said rules, in rule 28, for the word, figures and signs "Rs. 10,000/-" wherever occurring, the word, figures and signs "Rs. 20,000/-" shall be substituted.

4. In the said rules, in rule 33, for the word, figures and signs "Rs. 10,000/-" wherever occurring, the word, figures and signs "Rs. 20,000/-" shall be substituted.

T. V. S. N. PRASAD,
Financial Commissioner, Revenue and
Additional Chief Secretary to Government, Haryana,
Revenue and Disaster Management Department.

11181—L.R.—H.G.P., Pkl.